भारतीय संविधान की प्रस्तावना

//

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

- अंगीकरण: 26 नवंबर, 1949
- आदर्शों की प्रेरणा: जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव

प्रस्तावना से जानकारी प्राप्ति होती है

- संविधान के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों के विवरण तथा इसे अंगीकृत किये जाने की तिथि के बारे में

संबंधित वाद

- **बेरुबारी यूनियन केस, 1960:**
  - प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिये।
- **केशवानंद भारती मामला, 1973:**
  - प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे संशोधन से संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता।
  - इसके पास कोई सर्वोच्च प्राधिकार नहीं है लेकिन यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- **केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम 1995:**
  - दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है।

प्रस्तावना क्या घोषणा करती है?

- संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है
- भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है
- **उद्देश्य:**
  - समस्त नागरिकों के लिये न्याय, स्वतंत्रता, समता सुनिश्चित करना
  - राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने हेतु बंधुत्व को बढ़ाना

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द सम्मिलित किये गए।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब** में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

Drishti IAS

और पढ़ें: संविधान की प्रस्तावना एवं इसमें निहित शब्दों के अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/preamble-to-the-indian-constitution